



वैब साईट पर अपलोड करने बाबत  
कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर- 342001

email- jdajodhpur@yahoo.comosc-साईट:jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

क्रमांक :- S-A/1097

दिनांक : 11/12/17

नीलामी विज्ञप्ति

:: अधिशाषी अभियंता दक्षिण/11/2017-18 ::

जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा निम्नांकित कार्य हेतु जीएसटी नियमों के अन्तर्गत पंजीकृत एवं संबंधित व्यवसाय में कार्यरत प्रतिष्ठानों /व्यवसायों/संवेदकों/फर्मों को नीलामी में भाग लेने के हेतु आमंत्रित किया जाता है। सक्षम प्रतिष्ठानों /व्यवसायों/संवेदकों/फर्मों से 5 प्रतिशत राशि ली जायेगी तथा निविदा के साथ 2 प्रतिशत राशि बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम से निम्न विवरण अनुसार प्राधिकरण में जमा करानी आवश्यक है।

निविदा का विवरण:-

क्र. सं.	कार्य का नाम	बोली की न्यूनतम रिजर्व राशि (लाखों में)	धरोहर राशि (लाखों में)	धरोहर राशी व संबंधित दस्तावेज जमा कराने की दिनांक व समय	बिड फोरमेट बंद लिफाफे में जमा कराने का स्थान	नीलामी की दिनांक व समय
1	शास्त्री सर्कल में म्युजिकल फाउण्टेन चलाने के समय प्रवेश शुल्क की वसुली के बदले वार्षिक किराया जमा कराया जाना।	2.28	5000/-	26.12.2017 सांय 4.बजे तक	जोन दक्षिण कमरा नं 56	28.12.17 11 बजे से 4 बजे तक

निविदा की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. निविदा की प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
2. यदि संवेदक के नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से सम्बंधित जोन अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो,तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
3. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इन्जिनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवा निवृत्ति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहाँ से सेवायें लेने से पहले अनुमति नहीं ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
4. निविदादाता को निविदा भरते समय साथ में निविदा शुल्क, धरोहर राशि, GST Registration की प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत कार्यालय में जमा उपरोक्त विवरण अनुसार जमा करानी होगी।
5. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।
6. म्युजिकल फाउण्टेन चलाने के समय प्रवेश शुल्क वसुली का कार्य 2 वर्ष के लिये होगा तथा नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
7. प्रवेश शुल्क रु. 5/- प्रति व्यक्ति होगा इससे अधिक शुल्क वसुल नहीं किया जायेगा। अन्यथा अनुबंध के अनुसार दंडात्मक कार्यावाही की जायेगी।
8. जीएसटी की राशि संवेदक द्वारा वहन की जायेगी।
9. प्रवेश शुल्क हेतु मुद्रित टिकट प्रवेशधारी को देना होगा एवं मुद्रित टिकट का अनुमोदन संबंधित अधिशाषी अभियंता से करवाना होगा।
10. प्रवेश शुल्क कार्यादेश जारी होने के सात दिवस के भीतर पुरे वर्ष का अग्रिम जमा करवाना होगा जो सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम से होगा। तथा दूसरे वर्ष के लिये 10 प्रतिशत राशि जोडकर जमा करानी होगी।
11. पांच वर्ष के कम उम्र के बच्चे/विकलांग व्यक्ति/वरिष्ठ नागरिक प्रवेश शुल्क से मुक्त रहेंगे।
12. शास्त्री सर्कल पर फाउण्टेन बंद होने पर सभी नागरिक प्रवेश शुल्क से मुक्त रहेंगे।
13. प्रवेश शुल्क की अवधि ग्रीष्मकालीन (अप्रैल से सितम्बर) सांय 7.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक एवं शीतकालीन (अक्टूबर से मार्च) सांय 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक रहेगी तथा इस अवधि में सर्कल का रखरखाव एवं सुरक्षा व्यवस्था संवेदक को करनी होगी। इसके लिए अलग से प्राधिकरण द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
14. संवेदक को बिड फोरमेट के साथ अमानत राशि के रूप में (रु. 5000/-) का डीडी/बैंकर चैक/नकद,सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम से जमा करवाना होगा तथा सफल बोलीदाता को स्वीकृत बोली राशि का 25 प्रतिशत बोली स्वीकृत होते ही जमा करवाना होगा तथा शेष राशि 7 दिवस में जमा करानी होगी अन्यथा पूर्व में जमा समस्त राशियां जब्त कर ली जाएगी।
15. कार्यादेश जारी होने के सात दिवस में निर्धारित मुद्रांक राशि के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध का निष्पादन करना होगा। अनुबंध निष्पादन उपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
16. उक्त नीलामी की दरे बिड फोरमेट में भरकर सील बंद लिफाफे में धरोहर राशि के साथ कमरा नं. 56 में स्थित नीलामी बॉक्स में दिनांक 26.12.2017 को सांय 4.00 बजे तक डाली जानी है।
17. दर प्रस्तुत करने हेतु बिड फोरमेट जेडीए की वेबसाईट से अपलोड किया जा सकता है या कार्यालय के कमरा नं. 56 से प्राप्त किया जा सकता है।

(डाकनलोड)

अधिशाषी अभियंता (जोन-दक्षिण)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

दिनांक : 11/12/17

क्रमांक S-A/1098-1111

प्रतिलिपि वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव,अध्यक्ष महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
2. निजी सचिव,आयुक्त महोदय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
3. सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
4. निदेशक अभियांत्रिकी, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
5. निदेशक वित्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी प्रथम/द्वितीय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
7. सहायक लेखाधिकारी,प्रथम/द्वितीय/तृतीय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।
8. अधीक्षण अभियंता, सा.नि.वि./जो.वि.वि.नि.लि./जन स्वा.अभि. विभाग, जोधपुर।
9. अधिशाषी अभियंता जोन- पूर्व/पश्चिम/उत्तर /आर.ओ.बी/पी.एच.ई./विद्युत, जो.वि.प्रा. जोधपुर।
10. कैशियर /नोटिस बोर्ड।
11. सहायक जन सम्पर्क अधिकारी जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर।
12. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का [www.jodhpurjda.org](http://www.jodhpurjda.org) वेबसाईड पर तुरन्त प्रदर्शित (Up Load) करे।

अधिशाषी अभियंता (जोन-दक्षिण)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर



# कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर- 342001

email- jodhpur@yahoo.comosc-सहजोधपुरjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 021-2612086

## BID FORMET

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की अवधि	प्राधिकरण की तरफ से न्यूनतम बोली राशि रूपयो (प्रतिवर्ष)	संवदेक द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली बोली राशि रूपयो (वार्षिक)
1.	शास्त्री सर्कल में म्युजिकल फाउण्डेन चलाने के समय प्रवेश शुल्क की वसुली के बदले वार्षिक किराया जमा कराया जाना।	2 वर्ष	228000/- (जीएसटी अतिरिक्त)	जीएसटी अतिरिक्त) रु..... ..... शब्दो मे .....

निविदा की महत्वपूर्ण शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. निविदा की प्रक्रिया ऑन लाईन होगी।
2. यदि संवेदक के नजदीकी रिश्तेदार (प्रथम रक्त सम्बन्धी व उनके पति/पत्नी) कार्य से सम्बंधित जौन अथवा अधीनस्थ कार्यालय में खण्डीय लेखाकार अथवा सहायक अभियंता से लेकर अधीक्षण अभियंता स्तर का किसी भी स्तर पर पदस्थापित हो तो उसके कार्य पर नियुक्त करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।
3. राज्य सरकार में किसी भी अभियांत्रिकी विभाग में किसी भी इन्जिनियर या प्रशासनिक कार्य पर नियुक्त राजपत्रित अधिकारी राज्य की अनुमति के बिना सेवा निवृत्ति के 2 वर्ष तक संवेदक अथवा उसके कर्मचारी के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे। यदि संवेदक अथवा उसके कर्मचारियों में कोई ऐसा व्यक्ति जिसने राज्य सरकार की उक्त लिखित अनुमति निविदा जमा कराने से पहले अथवा संवेदक के यहाँ से सेवाये लेने से पहले अनुमति नहीं ली है, तो अनुबन्ध रद्द किया जा सकेगा।
4. निविदादाता को निविदा भरते समय साथ में निविदा शुल्क, धरोहर राशि, GST Registration की प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत कार्यालय में जमा उपरोक्त विवरण अनुसार जमा करानी होगी।
5. किसी भी निविदा को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार निम्नहस्ताक्षरकर्ता को रहेगा।
6. म्युजिकल फाउण्डेन चालाने के समय प्रवेश शुल्क वसुली का कार्य 2 वर्ष के लिये होगा तथा नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा।
7. प्रवेश शुल्क रु. 5/- प्रति व्यक्ति होगा इससे अधिक शुल्क वसुल नहीं किया जायेगा। अन्यथा अनुबन्ध के अनुसार दंडात्मक कार्यावाही की जायेगी।
8. जीएसटी की राशि संवेदक द्वारा वहन की जायेगी।
9. प्रवेश शुल्क हेतु मुद्रित टिकट प्रवेशधारी को देना होगा एवं मुद्रित टिकट का अनुमोदन संबंधित अधिशाषी अभियंता से करवाना होगा।
10. प्रवेश शुल्क कार्यादेश जारी होने के सात दिवस के भीतर पुरे वर्ष का अग्रिम जमा करवाना होगा जो सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण के नाम से होगा। तथा दूसरे वर्ष के लिये 10 प्रतिशत राशि जोडकर जमा करानी होगी।
11. पांच वर्ष के कम उम्र के बच्चे/विकलांग व्यक्ति/वरिष्ठ नागरिक प्रवेश शुल्क से मुक्त रहेंगे।
12. शास्त्री सर्कल पर फाउण्डेन बंद होने पर सभी नागरिक प्रवेश शुल्क से मुक्त रहेंगे।
13. प्रवेश शुल्क की अवधि ग्रीष्मकालीन (अप्रैल से सितम्बर) सांय 7.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक एवं शीतकालीन (अक्टूबर से मार्च) सांय 6.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक रहेगी तथा इस अवधि में सर्कल का रखरखाव एवं सुरक्षा व्यवस्था संवेदक को करनी होगी। इसके लिए अलग से प्राधिकरण द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
14. संवेदको को बिड फोरमेट के साथ अमानत राशि के रूप में (रु. 5000/-) का डीडी/बैंकर चैक/नकद, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर के नाम से जमा करवाना होगा तथा सफल बोलीदाता को स्वीकृत बोली राशि का 25 प्रतिशत बोली स्वीकृत होते ही जमा करवाना होगा तथा शेष राशि 7 दिवस में जमा करानी होगी अन्यथा पूर्व में जमा समस्त राशियां जब्त कर ली जाएगी।
15. कार्यादेश जारी होने के सात दिवस में निर्धारित मुद्रांक राशि के नॉन ज्युडिशल स्टाम्प पर अनुबन्ध का निष्पादन करना होगा। अनुबन्ध निष्पादन उपरांत ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
16. उक्त निलामी की दरे बिड फोरमेट में भरकर सील बंद लिफाफे में धरोहर राशि के साथ कमरा नं. 56 में स्थित निलामी बॉक्स में दिनांक 26.12.2017 को सांय 4.00 बजे तक डाली जानी है।
17. दर प्रस्तुत करने हेतु बिड फोरमेट जेडीए की वेबसाईट से डाउनलोड किया जा सकता है या कार्यालय के कमरा नं. 56 से प्राप्त किया जा सकता है।

(डाऊनलोड)

अधिशाषी अभियंता (जोन दक्षिण)  
जोधपुर विकास प्राधिकरण,  
जोधपुर

मेरे द्वारा उपरोक्त शर्तों को ध्यानपूर्व पढ लिया तथा उपरोक्त अनुसार प्रस्तुत की गयी दरो पर कार्य करने को सहमत हूँ।

बोलीदाताओ के हस्ताक्षर मय मोहर